न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्याः— 33 / 2018 दिनांकः—19.09.2019

1. हनुमानराम पुत्र डूंगरराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी बैजनाथ तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....वादी

बनाम

1. बद्रीप्रसाद आयु 70 वर्ष पुत्र टोरूराम
2. गोरधन पुत्र परमेश्वर पुत्र टोरूराम
3. किशनलाल पुत्र परमेश्वर पुत्र टोरूराम
4. घनश्याम पुत्र परमेश्वर पुत्र टोरूराम
5. संतोष देवी स्त्री परमेश्वर पुत्र टोरूराम
6. मिथुन शर्मा आयु 26 वर्ष दत्तक पुत्र बलदेव पुत्र टोरूराम
7. भागीरथि पुत्र सोहनराम पुत्र टोरूराम
8. डूंगरराम पुत्र सोहनराम पुत्र टोरूराम
9. कैलाशचन्द पुत्र सोहनराम पुत्र टोरूराम
10. सोहनी देवी पत्नि सोहनराम पुत्र टोरूराम
11. मदनलाल पुत्र हीरालाल पुत्र टोरूराम
12. देवन्तराम पुत्र हीरालाल पुत्र टोरूराम
13. तेजाराम पुत्र हीरालाल पुत्र टोरूराम
14. जगदीश पुत्र हीरालाल पुत्र टोरूराम
15. भंवरलाल पुत्र टोरूराम समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रामसीसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
16. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा

—:निर्णयः—

वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी स्वर्गीय डूंगरराम पुत्र जेसाराम का एकमात्र पुत्र है तथा वादी की माता का भी देहान्त हो चुका है। पूर्व तहसील फतेहपुर व वर्तमान तहसील रामगढ़ शेखावाटी के ग्राम ढाणी बैजनाथ में स्थित कृषि भूमि जिसके पुराना खसरा नम्बर 5 व वर्तमान खसरा नम्बर 9, 11, 10 रकबा 3.2000 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के पिता स्वर्गीय डूंगरराम पुत्र जेसाराम के कब्जे काश्त में सम्वत 2012 से ही चली आ रही है जिसकी खसरा—गिरदावरी वादी के पिता स्वर्गीय डूंगरराम पुत्र जेसाराम जाट के नाम बनी हुई है जिसमें कब्जा व काश्त दर्ज है।

उक्त विवादित आराजी की खसरा—गिरदावरी में वादी के पिता स्व. डूंगरराम पुत्र जेसाराम का नाम दर्ज है, उक्त खसरा गिरदावरी में कब्जा काश्त वादी के पिता का दर्ज है जो सरकारी कर्मचारियों / अधिकारीयों ने अपने राजकीय कार्यों के दौरान कब्जे व काश्त के आधर पर बनाई गई और कृषि भूमि का लगान भी मेरे पूर्वज स्व. डूंगरराम ने दिया था तथा सम्वत 2012 से ही कब्जा काश्त चला आ रहा था उनके मृत्यू के बाद उक्त कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त मुझ वादी का बतौर हक अधिकर के चला आ रहा है उक्त कृषि भूमि की सम्वत 2012 से निरन्तर निर्बाध रूप से लाट—बाट आदि मेंरे पिता जी किया करते थे उनकी

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

त्यु के बाद उक्त भूमि की लाट–बाट आदि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वादी ने की है। उक्त आराजी में वादी ने करीब 20 वर्षों से पाल का झूपां बना रखा है तथा तीन ट्रॉली पत्थर व करीब तीन हजार ईंट डलवा रखी है, जो मौके पर भी मौजूद पड़ी है।

उक्त विवादित आराजी का कब्जा काश्त लाट–बाट आदि सम्वत 2012 से ही मुझ वादी के पिता व उनके बाद मुझ वादी का होने की जानकारी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 15 व उनके पूर्वजों ने उक्त भूमि का कब्जा लेने के लिये मुझ वादी के पिता स्वर्गीय डूंगरराम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही हो जिसके मियाद समाप्त हो चुकी है। जिससे उक्त भूमि की बाबत प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है और उक्त भूमि खातेदारी अधिकार वादी कानूनन प्राप्त हो चुके है जिसका खाता वादी अपने नाम बनवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 व उनके पूर्वजों का उक्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा तथा ना ही आज है। लेकिन उक्त विवादित आराजी का खाता गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 15 के पिता के नाम गलत रूप से बन गया है जो वादी के हक अधिकार की अपेक्षा निरस्त किए जाने योग्य है।

विवादित आराजी के खाते में दर्ज परमेश्वर पुत्र टोरूराम का देहान्त हो चुका है जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 है तथा खाते में दर्ज बलदेव पुत्र टोरूराम का देहान्त हो चुका है उक्त बलदेव का उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 6 है तथा खाते में दर्ज सोहनराम पुत्र टोरूराम का देहान्त हो चुका है उक्त सोहनराम के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 7, 8, 9, 10 तथा खाते में दर्ज खातेदार हीरालाल पुत्र टोरूराम का भी देहान्त हो चुका है उक्त हीरालाल के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 11, 12, 13, 14, 15 है जिनको प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 16 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। प्रतिवादी स. 02, 04, 05, 07 व 09 नें इकबाली जबाब दावा पेश कर वाद के तथ्यो को स्वीकार करते हुए कथन किया कि वादी के वाद के अनुसार दावा डिक्री किया जाता है तों हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

वादी व प्रतिवादीगण स. 01, 06, 08, 10 ता 15 नें राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसील रामगढ शेखावाटी के ग्राम ढाणी बैजनाथ मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 9, 10, 11 कुल रकबा 3.200 है0 सम्पूर्ण भूमि वादी हनुमानराम के पिता स्व. डूगंरराम के समय से चली आ रही है जो वादी के कब्जे काश्त मे रहेगी उक्त खसरा नम्बर 9, 10, 11 से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध सरोकार नही है तथा ना ही भविष्य मे कभी रहेगा। उक्त कृषि भूमि का वर्तमान खाता निरस्त किया जाकर उक्त भूमि मे वादी हनुमानराम का नाम उद्घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री फरमाने की कृपा करें। राजीनामा पक्षकारान की उपस्थिति एवं अधिवक्तागण की पहचान पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन मे प्रदर्श 01 नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77, जिसमें खाता परमेश्वर, बद्रीप्रसाद, बलदेव, सोहनराम, हीरालाल पुत्रगण टोरूराम के नाम से बना हुआ है। प्रदर्श 02 मिलान खसरा नम्बर, प्रदर्श 03 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–18 जिसके कॉलम संख्या 41 मे वादी के पिता डूगंरराम का नाम है, प्रदर्श 04 खसरा गिरदावरी सम्वत 2024–27 जिसके कॉलम संख्या 41 मे वादी के पिता डूगंरराम का नाम है, प्रदर्श 05 खसरा गिरदवरी सम्वत 2028–31 जिसके कॉलम संख्या 41 मे वादी के पिता डूगंरराम का नाम है, प्रदर्श 06 खसरा गिरदावरी सम्वत 2032–35 जिसके कॉलम संख्या 16 मे वादी के पिता डूगंरराम का

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

ाम दर्ज है, प्रदर्श 07 गिरदावरी स्लिप सम्वत 2018, प्रदर्श 08 गिरदावरी स्लिप सम्वत 2019 जिसमें वादी के पिता डूंगरराम का शिकमी काश्तकार के रूप में नाम दर्ज है। प्रदर्श 09 नक्सा ट्रेस, प्रदर्श 10 प्रमाणित प्रति राजीनामा दिनांकित 14.06.2018 आदि दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिशल है। वादी ने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 हनुमानाराम पुत्र डूंगरराम, पी.डब्ल्यू–2 बेगाराम पुत्र मालाराम, पी.डब्ल्यू–3 किशनाराम पुत्र पदमाराम पेश किये।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावाली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया।

वादी तथा प्रतिवादी 1, 6, 8, 10 ता 15 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रदर्श 10 निष्पादित किया जा चुका है। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श 01 से जाहिर होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित आराजी का खातेदार है। प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श 01 अथवा अन्य दस्तावेजों प्रदर्श 03 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–18, प्रदर्श 04 खसरा गिरदावरी सम्वत 2024–27 प्रदर्श 05 खसरा गिरदवरी सम्वत 2028–31, प्रदर्श 06 खसरा गिरदावरी सम्वत 2032–35, प्रदर्श 07 गिरदावरी स्लिप सम्वत 2018, प्रदर्श 08 गिरदावरी स्लिप सम्वत 2019 से विवादित आराजी पर वादी के स्वत्व प्रमाणित नहीं होते हैं परंतु उभय पक्षों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर अपने विवाद का निपटारा करना चाहा है। उक्त राजीनामा प्रदर्श 10 आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार स्टांप ड्यूटी से राज्य सरकार को होने वाले आय के प्रति क्षतिकारक प्रतीत होता है। फलस्वरुप उक्त राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी के बारे में वादी को हस्तांतरित होने वाले अधिकारों को इस शर्त पर ही स्वीकार किया जा सकता है कि विवादित भू–भाग के प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार वादी स्टैंप ड्यूटी राजकोष में जमा करवाएं।

वकील वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन हेतु विभिन्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत उद्धरणों RLR(1993/1) 259, RLW 2001(1) SC 89, 2014–15 (Supp.) RRT 429, आदेश 23(3) सीपीसी, RLW 2003[3] Raj 1891, AIR 1960 Supreme Court 100 [U 47 C 18] में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर वादी आंशिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। पूर्व में किए गए विवेचन के अनुसार प्रकरण में स्टांप ड्यूटी से होने वाली संभावित आय को नुकसान पहुंचाने का पक्षकारों द्वारा प्रयास किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत उद्धरणों के आधार पर राजकोष में बिना राशि जमा कराएं घोषणात्मक अनुतोष वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

–:आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आदेश है कि वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नंबर 9, 10, 11 वाके ग्राम ढाणी बैजनाथ का वादी को इस शर्त पर खातेदार घोषित किया जाता है कि वह विवादित आराजी के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर स्टांप ड्यूटी तीन माह के दौरान राजकोष में जमा करवाएं। उक्त राशि राजकोष में नियत अवधि में जमा नहीं करवाने पर आदेश व डिक्री स्वतः निष्प्रभावी हो जाएंगे। पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner